03/2015

20/11/14	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है,जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की संभावना है। विवादिता आराजी ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1133/396 रकबा 20 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 01 के हकपूर्वाधिकारी मानाराम की खातेदारी मे अवस्थित है। प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी को जरिए विक्रय-पत्र संख्या 5173/28.12.2007 को खरीद की गई,वक्त खरीद से आदिनांक प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रय-पत्र मुताबिक प्रार्थी के पक्ष मे नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के नाम नामान्तकरण नहीं भरा गया,जबकि प्रार्थी यही समझता रहा कि विवादित आराजी में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर दी गई है। इसी दौरान मानाराम के देहान्त होने पर उसके वारिसा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम नामान्तकरण भर दिया गया,जबकि उक्त नामान्तकरण अवैध भरा गया है,क्योकि विप्रार्थी संख्या 01 के पिता मानाराम द्वारा विवादित आराजी को प्रार्थी के पक्ष में बेचान कर दी गई थी,लेकिन अवैध प्रविष्टि का विप्रार्थी द्वारा नाजायज फायदा उठाते हुए द्वितिय बेचान विप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया गया,उक्त बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज कर दी गई,जो कि उक्त प्रविष्टि गलत इन्द्राज की गई है। जिसका गलत फायदा उठाकर विप्रार्थी विवादित आराजी को आगे ओर बेचान करने पर उतारू है तथा मौके की स्थिति फेरबदल करने की धमकिया दी जा रही है,इस काराण स्थगन आदेश जारी नही किया गया,तो प्रार्थी को क्षति होगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जावे कि विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की यथास्थिति बनाए रखें। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से वाद मनगढन्त तथ्यों के आधार पर लाया गया है,जो वाद चलने योग्य नही है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विप्रार्थी का ही मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का बोकस दस्तावेजात के आधार पर खातेदारी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

घोषणा चाही गई है,जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की रति भर भी संभावना नहीं है। अंत प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी/वादी की ओर से राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1133/396 रकबा 20 बीघा भूमि विक्रयपत्र संख्या 5173/2007 दिनांक 28.12.2007 के आधार खातेदारी धोषणा का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी राहत प्राप्त करने का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी साबित नही कर पाया है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

24/10/2014